भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1427

मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

'ओडीओपी योजना की स्थिति'

1427. श्री अक्षय यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फ़िरोज़ाबाद के कांच के उत्पाद और चूड़ी उद्योग के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही स्वीकृत की गई निधि कितनी है, सहायता प्रदत्त लाभार्थी कितने हैं और सृजित अवसंरचना क्या है;

(ख) क्या फ़िरोज़ाबाद के कांच के उत्पाद निर्यातकों ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य और लाल सागर से होकर गुज़रने वाले पोत परिवहन मार्गों में रुकावटों के कारण मार्च 2026 से लदान में हुई कमी और माल ढुलाई की लागत में बढ़ोतरी संबंधी सूचना दी है, और क्या उन्हें कोई राहत दी गई है;

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान वैश्विक रुकावटों के कारण भारत के कांच के उत्पाद और हस्तशिल्प निर्यात में कुल गिरावट, यदि कोई हो, संबंधी डेटा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित निर्यातकों के लिए माल ढुलाई- राजसहायता, निर्यातक ऋण या वैकल्पिक मार्ग की सुविधा जैसे उपाय करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले से कम से कम एक उत्पाद का चयन**,** ब्रांडिंग और प्रचार करना है ताकि सभी क्षेत्रों में समग्र विकास को सक्षम किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिरोजाबाद जिले के लिए कांच के उत्पाद सहित 75 जिलों के 110 उत्पादों की पहचान की है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि फिरोजाबाद के कांच के उत्पाद और चूड़ी उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए ओडीओपी मार्जिन मनी स्कीम के तहत 622 लाभार्थियों को 3,676.27 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जबकि 415 लाभार्थियों को ओडीओपी विपणन विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के

तहत 491.66 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) प्रशिक्षण स्कीम के तहत, 1,775 लाभार्थियों को उनके कौशल और औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन पर, प्रत्येक लाभार्थी को 20,000 रुपये तक का एक उन्नत टूलकिट प्रदान किया गया है।

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की स्कीम (एसएएससीआई) के तहत, ओडीओपी, जीआई और स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु पीएम एकता मॉल (यूनिटी मॉल) की स्थापना के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से दिल्ली, जम्मू और कश्मीर तथा पुडुचेरी विधानसभा सहित प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 200 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग): उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि फिरोजाबाद के कांच के उत्पाद के निर्यातकों से कोई आधिकारिक जिला-विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जो मार्च 2026 से पोतलदान में किसी भी गिरावट और माल ढुलाई लागत में वृद्धि का संकेत देती है।

इसके अलावा, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान कांच के उत्पादों और हस्तशिल्प के निर्यात में कोई समग्र गिरावट नहीं देखी गई है।

(घ): सरकार ने वाणिज्य विभाग के अंतर्गत दिनांक 02.03.2026 को एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया है, जो नियमित रूप से बैठकें करती है और वर्तमान में चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान व्यापार में व्यवधानों को कम करने और व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए मालभाड़ा सब्सिडी, निर्यात ऋण, महत्वपूर्ण आयातों पर शुल्क राहत, आवश्यक निर्यात विनियमों के कार्यान्वयन और वैकल्पिक व्यापार मार्गों की सुविधा सहित उपायों का समन्वय करती है।

माल ढुलाई और बीमा सहायता के लिए, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) ने दिनांक 19.03.2026 को पश्चिम एशिया क्षेत्र में निर्यात को कवर करने या उस क्षेत्र के माध्यम से निर्यात करने हेतु 'रिजिलियंस एण्ड लाजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन (रिलीफ)' कार्यकलाप शुरू किया है। ईसीजीसी के तहत कवर न किए गए दावों के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पहले ही पोत द्वारा भेजे गए निर्यातों के मालभाड़ा और बीमा लागत की प्रति एमएसएमई 50 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाती है; इसके अलावा, ईसीजीसी से कवर किए गए निर्यात जो पहले ही पोत द्वारा भेजे गए हैं, उन्हें 100 प्रतिशत कवर प्रदान किया जाता है और ईसीजीसी कवर का उपयोग करने वाले आगामी निर्यात को 95 प्रतिशत कवर प्रदान किया जाता है।
